



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42590 वर्ष 2025

सुरेन्द्र कुमार और अन्य

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मोहम्मद अहमर मलिक, मुहम्मद अकमल, प्रदीप कुमार सिंह
विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार और राज्य-विरोधी पक्ष के विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता श्री एस.के. राय को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत आवेदन, अभियुक्त-आवेदकों की ओर से, केस क्राइम संख्या 450/2025 में जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है। यह मामला गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5A/5B/8 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत, पुलिस थाना अलीनगर, जिला चंदौली में दर्ज है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष हैं। उन्हें इस केस क्राइम संख्या में झूठा फंसाया गया है और वे 21.09.2025 से जेल में बंद हैं। आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उनके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि एफ आई आर में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आवेदकों के विरुद्ध कोई अपराध बनता ही नहीं है। आवेदक 21.09.2025 से जेल में हैं। अतः जमानत दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता ने ज़मानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए—किंतु मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना—ज़मानत दिए जाने का एक उचित आधार बनता है।

तदनुसार, ज़मानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

उपर्युक्त केस क्राइम नंबर में शामिल आरोपी-आवेदक, सुरेंद्र कुमार और सूरजभान उर्फ बबलू को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही राशि का एक निजी मुचलका और प्रत्येक के लिए दो विश्वसनीय ज़मानतें पेश करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन ज़मानत पर रिहा किया जाए:

- i. आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
- ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।
- iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे/उन्हें डराएंगे-धमकाएंगे नहीं और मुकदमे में सहयोग करेंगे।
- iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होंगे, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उनके वकील के माध्यम से उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट न दे दी जाए।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, निचली अदालत को उनकी ज़मानत रद्द करने की कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी।

14 जनवरी, 2026

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।